हरियाणा सरकार ने की विभागों के विलय की अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों?

2 जनवरी, 2023 को एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार के उद्देश्य से कुछ विभागों का विलय एवं पुनर्गठन कर दिया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को विद्युत विभाग के साथ विलय करके नए विभाग का नाम बदलकर 'ऊर्जा विभाग'किया गया है तथा वन एवं वन्य जीव विभाग तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का विलय कर इसका नाम बदलकर 'पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग'किया गया है।
- पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग का पर्यटन विभाग में विलय करके विभाग का नाम बदलकर 'विरासत तथा पर्यटन विभाग'किया गया है तथा उच्चतर शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग का विलय करके नए विभाग का नाम 'उच्चतर शिक्षा विभाग'किया गया है।
- सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग को भंग कर दिया गया है। इस विभाग के कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण व निजी आईटी तथा हारट्रोन को 'उद्योग तथा वाणिज्य विभाग'के दायरे में लाया गया है।
- इसी प्रकार, कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग का विलय सूचना, लोकसंपर्क एवं भाषा विभाग के साथ किया गया है और इसका नाम बदलकर 'सूचना, लोकसंपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग'किया गया है तथा श्रम तथा रोज़गार विभाग के स्थान पर अब 'श्रम विभाग'नाम रखा गया है।
- अनुसूचित जातियाँ तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग का विलय करने के बाद इसका नया नाम 'सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग'किया गया है तथा खेल एवं युवा मामले विभाग के स्थान पर अब इसका नाम 'खेल विभाग'रखा गया है।
- प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 'युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग'नाम से नया विभाग गठित किया है। इसमें कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग और रोज़गार विभाग तथा युवा मामले विभाग का विलय किया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-government-issued-notification-of-merger-of-departments